संख्या- 155 /2026/ 1169 /चार-2026-1806988

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 28 अप्रैल, 2026**

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में वेतन भत्तों एवं अन्य वचनबद्ध व्ययों की मदों में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-45/प्रथम-01(04)/26 दिनांक 17 अप्रैल, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय एवं अधीनस्थ इकाईयों के वेतन भत्ते एवं अन्य वचनबद्ध व्ययों की पूर्ति हेतु अनुदान संख्या-92 के राजस्व लेखे के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि **रू0 16,37,35,000.00 (रुपये सोलह करोड़ सैंतीस लाख पैंतीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अधीन प्रदान करते हुए उक्त कुल धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) प्रश्नगत धनराशि का आहरण वित्तीय हस्तपुस्तिका के संगत नियमों के अनुसार राजकोष से किया जाएगा। धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/ पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा।
(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा।
(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।
(5) धनराशि स्वीकृत किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति / अनियमितता न हो। किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति/ अनियतमितता हेतु निदेशालय उत्तरदायी होगा।
(6) उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इन धनराशियों का आंवटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहां कहीं आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(8) निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के आलोक में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता/ ऑडिट आपत्ति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशालय/ संबंधित इकाई का होगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2205001030300 (पुरातत्व निदेशालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	01 वेतन	6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)
2	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	02 मजदूरी	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
3	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	03 मंहगाई भत्ता	3,90,00,000 (रुपये तीन करोड़ नब्बे लाख मात्र)
4	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	04 यात्रा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
5	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	06 अन्य भत्ते	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
7	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	07 मानदेय	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)
8	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
9	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	09 विद्युत देय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
10	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	10 जलकर / जल प्रभार	15,000 (रुपये पन्द्रह हजार मात्र)
11	092	2205001030300	11	3,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		पुरातत्व निदेशालय	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	(रुपये तीन लाख मात्र)
12	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
13	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
14	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
15	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
16	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
17	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	18 प्रकाशन	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
18	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	29 अनुरक्षण	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
19	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	42 अन्य व्यय	75,05,000 (रुपये पचहत्तर लाख पाँच हजार मात्र)
20	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
21	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
22	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
23	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

24	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	49 चिकित्सा व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
25	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	51 वर्दी व्यय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
26	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	55 मकान किराया भत्ता	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
27	092	2205001030300 पुरातत्व निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			**16,37,35,000** **(रुपये सोलह करोड़ सैंतीस लाख पैंतीस हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या- 155 /2026/ 1169 (1) /चार-2026-1806988 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in